राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

खेल अकादमी योजना/नियम

1. प्रस्तावना :–

राज्य में खेलों के संवर्धन एवं विकास करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन वर्ष 1957 में राजकीय पंजीकृत सोसायटी के रूप में किया गया था। खेलों के विकास की योजनाओं की क्रियान्वयन के समय अनुभव हुआ था कि खेल प्रतिभाओं को चयनित कर एक जगह रख कर उनको खेलों की वैज्ञानिक पद्धति से दीक्षा एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जावे तो इससे उत्साह जनक खेल परिणाम प्राप्त होने की आशा है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु खेल अकादमी योजना प्रारंभ की गई है।

2. उद्देश्य :–

- इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली चयनित खिलाड़ियों को परिजनों से दूर होते हुए भी, निश्चिता के वातावरण में रखकर उत्तम पोषाहार देना एवं वैज्ञानिक ढंग से खेलों में प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनाना है।
- खेलों के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा कर जनस्वास्थ्य वर्धन करना।
- खेलों को रोजगारोन्मुखी दिशा में ले जाना।
- खिलाड़ियों के सामाजिक स्तर में सुधार लाना आदि।
- चयनित खिलाड़ियों के शैक्षणिक स्तर मे अभिवृद्धि करना।

3. वर्तमान में संचालित खेल अकादमी :–

क्र.सं.	खेल अकादमी का विवरण	स्थान	स्वीकृत खिलाडियों की संख्या
1	बालक फुटबाल अकादमी	जोधपुर	25
2	बालिका हॉकी अकादमी	अजमेर	25
3	बालक बास्केटबाल अकादमी	जैसलमेर	25
4	बालिका बास्केटबाल अकादमी	जयपुर	20
5	बालिका एथलेटिक्स अकादमी	जयपुर	15
6	बालिका वॉलीबाल अकादमी	जयपुर	16
7	बालिका तीरन्दाजी अकादमी	जयपुर	15
8	बालिका हैण्डबाल अकादमी	जयपुर	18
9	बालक कबड्डी अकादमी	करौली	18
10	बालक तीरन्दाजी अकादमी	उदयपुर	15
11	बालक वॉलीबाल अकादमी	झुंझुनूं	16
12	बालक एथलेटिक्स अकादमी	श्रीगंगानगर	15
कुल संख्या			**223**

4. **आयु वर्ग :–**

बालकों के लिए 13 से 16 वर्ष एवं बालिकाओं के लिए 13 से 17 वर्ष तक की आयु में प्रवेश दिये जाने हेतु निर्धारित की गई है। अकादमी हेतु पूर्व में चयनित आवासित आयु सीमा 18 वर्ष अधिकतम होगी। आयु का निर्धारण प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से किया जायेगा।

आयु सीमा में छुट देने के लिए अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्, जयपुर सक्षम होंगे।

5. **सत्र की समय अवधि** – 01 जुलाई से 30 अप्रेल तक।

6. **चयन प्रक्रिया :–**

खेलों के प्रतिभावान उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयनित करने हेतु प्रतिवर्ष विज्ञप्ति/विज्ञापन जारी कर निर्धारित आयु वर्ग एवं योग्यता धारकों से आवेदन आमंत्रित किये जावेंगे। यह विज्ञापन/विज्ञप्ति कम से कम दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से जारी की जावेगी। प्रार्थियों की चयन स्पर्धा चयन समिति के समक्ष की जावेगी। चयन स्पर्धा में शारीरिक दक्षता का बैटरी टेस्ट एवं खेल की तकनीकी दक्षता सहित अनुशासन आदि के मूल्यांकन के आधार पर चयन होगा।

चयन समिति से अभिशंषित एवं चयनित खिलाड़ियों का चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य परीक्षण होगा। स्वस्थ एवं पूर्णरूप से फिट पाये गये खिलाड़ियों में से वरियता अनुसार निर्धारित संख्या तक अकादमी में प्रवेश दिया जायेगा एवं आवासित करने हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

उक्त चयन प्रक्रिया का प्रपत्र मुखालय से जिला कलक्टर/जिला खेल अधिकारी को माह जनवरी में भिजवाया जाएगा।

चयन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :–

- खेल अधिकारी, संबंधित खेल विशेषज्ञ।
- राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद का प्रशिक्षक (कम से कम दो)।
- पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय खिलाडी (कम से कम एक)।

उक्त समिति में परिवर्तन करने के लिए अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद सक्षम होंगे।

➢ **विशेष चयन :–**

- सत्र के मध्य में प्रशिक्षक या समिति द्वारा विद्यालय/अन्य प्रतियोगिताओं के समय या कोई विशेष स्थिति में प्रतिभाशाली खिलाडी का चयन किया जा सकता है। विशेष शारीरिक क्षमता या तकनीकी क्षमता हो तो सक्षम अनुमति पश्चात खेल अकादमी में चयन किया जा सकता है।

7. **व्यय एवं बजट :–**

खेल छात्रावास/अकादमी की योजना की गणना उसके स्तर एवं देय सुविधाओं के साथ आवासियों की संख्या को दृष्टिगत कर निश्चित किया जाना है :–

- खेल अकादमी के लिए भोजन मीनू के अनुसार अधिकतम 200/– रू. प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी।
- सुविधाओं के रूप में खेल किट, ट्रेक सूट, जूते, टी–शर्ट, स्कूल ड्रेस आदि के लिए प्रति खिलाड़ी 12,800/– रू. प्रतिवर्ष।
- विद्यार्जन (विद्यालय/कॉलेज आने–जाने हेतु), चिकित्सा व सामान लाने के लिए एक वाहन किराये पर अथवा नियमानुसार क्रय कर लगाया जाएगा।

उपरोक्त अनुमानों को स्थानीय आवश्यकतानुसार संशोधित भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या एवं उन्हें देय सुविधाओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है।

8. शर्तें एवं नियम :–

- आगन्तुक (परिचित व अपरिचित) व्यक्ति से अभिवादन व शिष्ट व्यवहार करना।
- किसी भी मोबाईल व अन्य कीमती सामान रखने की अनुमति नहीं होगी।
- अधिकारियों/कर्मचारियो के निर्देशों का पालन करना।
- समयानुसार निर्धारित कार्यक्रम का पालन करना।
- स्वच्छता एवं रख–रखाव का नियमित ध्यान रखना।
- आपस में भाई–चारा बनाए रखना एवं सामंजस्य रखना।
- बिना पूर्व अनुमति के अकादमी से बाहर नहीं जाना।
- एक दूसरे की वस्तुएं न तो छेड़ना न ही दुरूपयोग करना।
- परिषद की सम्पति का ध्यान रखना व हानि होने से बचना।
- शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु नियमित रूप से जाना एवं कार्य करना।
- भोजन शांति से करना, अनावश्यक गतिविधि न करना यदि कोई आपत्ति हो तो मैस समिति के सदस्य के माध्यम से उच्चाधिकारी/समिति के ध्यान में लाना। मैस में दी गई भोजन सामग्री ही उपयोग में ली जावेगी।
- खेलों के प्रदर्शन में गिरावट होने पर तथा अनुशासनहीनता करने पर निष्कासन तक किया जा सकेगा।
- बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये एवं बिना सूचना के अकादमी से चले जाने पर स्वतः निष्कासित हो जाएगा। पूर्व में समस्त व्यय की वसूली भी की जा सकेगी। इस हेतु आवश्यक हुआ तो पुलिस कार्यवाही भी की जा सकती है।
- आगन्तुकों/परिजनों को छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जावेगी।

9. परेक्षण (विडींग आउट) :–

अकादमी के प्रवासी खिलाड़ियों को निम्न में से एक अथवा अधिक कारणों से छंटनी कर निष्कासित/निकाला जा सकता है। उक्त निष्कासन वार्डन/प्रशिक्षक के शिकायत पर सक्षम स्तर पर अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा।

- आयु पार कर लेने के कारण।
- खेल में गिरावट आने पर। इस प्रकरण में निष्कासन से पूर्व दो बार लिखित चेतावनी देना अनिवार्य होगा।
- अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने पर।
- परिषद सम्पत्ति को हानि पहुंचाने पर।
- चयन समिति द्वारा पुनः चयनित न किये जाने पर।

10. प्रशासनिक स्टाफ (एक अकादमी पर) :–

- प्रबंधक/निदेशक – एक (खेल अधिकारी/मैनेजर को अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है)
- वार्डन/पर्यवेक्षक – एक (आवश्यकतानुसार अनुबंध पर)
- कनिष्ठ लिपिक – एक (आवश्यकतानुसार अनुबंध पर)
- रसोईयां – एक (आवश्यकतानुसार अनुबंध पर)

- किचिन बॉय/सहायक रसोईयां – दो (आवश्यकतानुसार अनुबंध पर)
- सफाई कर्मी – दो (आवश्यकतानुसार अनुबंध पर)
- गैम्स बॉय – एक (आवश्यकतानुसार अनुबंध पर)
- प्रहरी/गार्ड – तीन (आवश्यकतानुसार अनुबंध पर)
- प्रत्येक खेल में प्रशिक्षक – दो (आवश्यकतानुसार अनुबंध पर)
- अंशकालीन डॉक्टर – एक (अनुबंध पर)
- फिजियो अंशकालीन – एक (अनुबंध पर)
- भोजन विशेषज्ञ अंशकालीन– एक (अनुबंध पर)

नोट – प्रशासनिक स्तर पर आवश्यकतानुसार स्टाफ बढाया या कम किया जा सकता है।

11. देय सुविधाओं का विवरण :–

क्र.सं.	सामग्री का नाम	मात्रा	अनुमानित कीमत
1	टी–शर्ट्स	4 प्रतिवर्ष	1600/–
2	जूते स्पोर्ट्स	2 प्रतिवर्ष	4000/–
3	मोजे	4 प्रतिवर्ष	200/–
4	ट्रेक शूट	1 प्रतिवर्ष	1500/–
5	खेल किट	2 प्रतिवर्ष	1500/–
6	स्कूल ड्रेस	2 प्रतिवर्ष	1500/–
7	उनी स्वीटर (फुल साईज)	1 प्रतिवर्ष	1000/–
8	किट बैग	1 प्रतिवर्ष	500/–
9	स्पोर्ट्स एसेसरी	प्रतिवर्ष	1000/–
	कुल योग		**12,800/–**

12. शिक्षा :–

1. शिक्षा दिलवाने हेतु राजकीय विद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश दिलवाया जायेगा। फीस का भुगतान परिषद द्वारा किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में सक्षम अनुमति पश्चात कोई खिलाडी प्राईवेट विद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश ले सकता है जिसका भुगतान परिषद द्वारा अधिकतम रू. 15,000/– प्रतिवर्ष तक राशि देय होगी।
2. विद्यार्जन (विद्यालय/महाविद्यालय आने–जाने हेतु) के लिए उपलब्ध सुविधा का उपयोग होगा अथवा नियत राशि का भुगतान होगा।

13. आवास एवं भोजन व्यवस्था :–

प्रत्येक आवासी को निःशुल्क आवास (पंलग, गद्दा, चद्दर, तकिया मय कवर, रजाई मय कवर, रजाई/कम्बल, कैश, मच्छर दानी, अलमारी, टेबिल कुर्सी) एवं भोजन निर्धारित मीनू के अनुसार निःशुल्क दिया जावेगा। मीनू की प्रति संलग्न है। इसमें आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुरूप तबदीली का अधिकार अकादमी के प्रबंधक/निदेशक/प्रभारी एवं उससे उच्चाधिकारी को होगा।

14. यात्रा भत्ता :–

खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने व जाने के लिए टी.ए. व डी.ए. एवं अनुषांगिक व्यय परिषद के नियमानुसार देय होगा। मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर होने वाला व्यय नियमानुसार परिषद वहन करेगी।

प्रत्येक खिलाडी को वर्ष में दो बार दीपावली व हॉली पर राजकीय अवकाश रहेगा। घर जाने पर आने जाने का वास्तविक किराया देय होगा।

15. प्रोत्साहन राशि :–

खेल अकादमी के खिलाडियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने व पदक प्राप्त करने पर विशेष प्रोत्साहन राशि :–

स्थान	राज्य स्तर पर	राष्ट्रीय स्तर पर	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर
प्रथम स्थान	10,000/–	25,000/–	3,00,000/–
द्वितीय स्थान	5,000/–	20,000/–	2,00,000/–
तृतीय स्थान	3,000/–	15,000/–	1,50,000/–
भाग लेने पर	1,000/–	10,000/–	1,00,000/–

उक्त प्रोत्साहन व्यक्तिगत खेल एवं टीम खेल में प्रति खिलाडी दी जावेगी।

16. चिकित्सा सुविधा :–

सामान्य चिकित्सा का व्यय परिषद वहन करेगी। परन्तु खिलाडी को गंभीर बीमारी/चोट लगने की दशा में प्रशिक्षक/चिकित्सक/प्रबंधक/निदेशक की अनुशंषा पर सचिव महोदय की स्वीकृति उपरान्त घर भिजवा दिया जावेगा।
स्वास्थ्य परीक्षण त्रैमासिक किया जाएगा।

17. खेल उपकरण :–

प्रशिक्षण के समय उपयोग होने वाला समस्त सामान/उपकरण उपलब्धता के अनुसार परिषद मुख्यालय आगार से उपलब्ध करवायेगी।

18. मनोरंजन, विद्यालय प्रोजेक्ट :–

खिलाड़ियों के मनोरंजन के लिए टीवी, कम्प्यूटर विद प्रिन्टर उपलब्ध करवाया जाएगा।

19. अवकाश संबंधी :–

- अवकाश पर जाने से पूर्व खिलाडी अपना प्रार्थना पत्र में उचित कारण बताते हुए अकादमी प्रभारी/प्रबंधक को प्रस्तुत करेंगे तथा स्वीकृति प्राप्त होने पर अवकाश पर जायेंगे। खिलाडी अवकाश से वापसी की सूचना तुरन्त प्रभारी/वार्डन को देंगे। निर्धारित तिथि व समय पर नहीं आने की स्थिति में अपने संरक्षक को साथ लाना आवश्यक होगा।
- अवकाश उपरान्त अपने गृह निवास स्थान से समय पर आना आवश्यक होगा। अस्वस्थता अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों की सूचना अकादमी/परिषद को उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा।

- सामान्यतः खिलाडी को अकादमी परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में अकादमी वार्डन/प्रभारी की लिखित अनुमति लेकर ही परिसर से बाहर जा सकेगा।

20. वर्जनीय :–

- किसी खिलाडी से मन मुटाव, गाली–गलौच अथवा झगड़ा करना।
- किसी प्रकार का वर्गभेद, जातिवाद तथा गुटबन्दी करना।
- कमरों की दीवारों में कीले गाड़ना, किसी वस्तु का निशान करना, नाम लिखना।
- बिना स्वीकृति के अकादमी परिसर से बाहर जाना।
- सड़क पर घुमना।
- बिजली के तारों, खुले स्विचों को छूना, अनावश्यक स्विचों को खोलना व बार–बार बन्द करना, अंधेरें में नंगे पैर बिना प्रकाश के घुमना।
- अकादमी परिसर व नजदीक में गंदगी करना, शोरगुल करना व कीमती सामाना रखना।
- धुम्रपान अथवा किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करना।

21. क्रय/व्यवस्थापन :–

प्रतिदिन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्रय समिति का गठन किया जायेगा। यह क्रय समिति परिषद द्वारा आवंटित/निर्देशित सहकारिता विभाग की दुकानों से खाद्य एवं किराणा वस्तुएं बिना निविदाओं के क्रय कर सकेगी। इसी तरह नाशवान फल, सब्जियां, पनीर, दूध तथा अन्य वस्तुएं स्टोर/सरस डेयरी के बूथों से उनकी स्थानीय प्रचलित दर पर क्रय करने हेतु सक्षम होगी। उक्त प्रकार की गई क्रय नित्य उपयोगी वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप अधिकतम एक माह के उपयोग की मात्रा तक की जा सकेगी। नाशवान वस्तुएं प्रतिदिन की आवश्यकतानुसार क्रय हो सकेगी।

अकादमी व्यवस्थापन, रख–रखाव, आवासियों की आवश्यकता तथा अकादमी के स्टेण्डर्ड में वृद्धि करने हेतु संबंधित अकादमी के प्रबंधक द्वारा अपनी क्रय समिति की सहमति पर एक माह में अधिकतम रू. 10,000/– तक क्रय किये जाने हेतु सक्षम होंगे।

इससे अधिक की राशि होने पर सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद की सक्षम अनुमोदनों के पश्चात क्रय की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह योजना/नियम सक्षम स्तर से अनुमोदित है।